रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 813] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 5, 2003/भाद्र 14, 1925
No. 813] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 5, 2003/BHADRA 14, 1925

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2003

का.आ. 1024(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 79(अ), तारीख 3 फरवरी, 1997 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में ,—

(i) क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"1. डा. सी. डी. मायी, अध्यक्ष";
कृषि आयुक्त,
कृषि और सहकारिता विभाग,
नई दिल्ली।

(ii) क्रम संख्या 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"5. डा. वाई. टी. शेरिंग, सदस्य"।
सचिव, केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड और
रजिस्ट्रीकरण समिति,
वनस्पति संरक्षण, संगरोध और भंडारण निदेशालय,
एन.एच.-IV, फरीदाबाद।

[फा. सं. 19-3/2001-पी.पी. 1]

प्रेम नारायण, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना का.आ. 79(अ) तारीख 3 फरवरी, 1997 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और पश्चात्वर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए थे--

(i) का.आ. 420(अ) तारीख 30 मई, 1997;

(ii) का.आ. 71(अ) तारीख 20 जनवरी, 1998;

(iii) का.आ. 23(अ) तारीख 3 जनवरी, 2000;

(iv) का.आ. 972(अ) तारीख 2 नवम्बर, 2000;

(v) का.आ. 11(अ) तारीख 5 जनवरी, 2001; और

(vi) का.आ. 147(अ) तारीख 1 फरवरी, 2002

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2003

S.O. 1024(E).— In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Co-operation) number S.O. 79(E), dated the 3rd February, 1997, namely :—

In the said notification, —

(i) for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

"1. Dr. C. D. Mayee, Chairman",
Agriculture Commissioner,
Department of Agriculture and Co-operation,
New Delhi.

(ii) for serial number 5 and the entries relating, thereto the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

"5. Shri Y. Tsering, Member".
Secretary, Central Insecticides Board and
Registration Committee,
Directorate of Plant Protection, Quarantine,
and Storage, NH-IV, Faridabad.

[F. No. 19-3/2001-PP.I]

PREM NARAIN, Jt. Secy.

Note:— The principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 79(E), dated the 3rd February, 1997 and subsequently amended vide —

(i) S.O. 420(E), dated the 30th May, 1997;

(ii) S.O. 71(E), dated the 20th January, 1998;

(iii) S.O. 23(E), dated the 3rd January, 2000;

(iv) S.O. 972(E), dated the 2nd November, 2000;

(v) S.O. 11(E), dated the 5th January, 2001; and

(vi) S.O. 147(E), dated the 1st February, 2002.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2003

का.आ. 1025(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 301 तारीख 27 फरवरी, 1971 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में ,—

(i) मद संख्या (xix) (क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (xix) के अधीन नाम निर्दिष्ट सदस्य :	(अवधि जिसके लिए नाम निर्दिष्ट किया गया है)
"(xix) (क) श्री वाई. टी. शेरिंग, सचिव, (सी.आई. बी. और आर.सी.) वनस्पति संरक्षण, संगरोध और भंडारण निदेशालय, एन.एच. IV, फरीदाबाद।	(इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए);"

(ii) मद संख्यांक (xix) (ग) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(xix) (ग) डा. सी. डी. मायी, कृषि आयुक्त, कृषि और सहकारिता विभाग भारत सरकार, नई दिल्ली।	(इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए)"

[फा. सं. 19-1/2001-पी.पो. 1]

प्रेम नारायण, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सा.का.नि. 301 तारीख 27 फरवरी, 1971 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और पश्चात्वर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए थे।

(i) सा.का.नि. 1216 तारीख 19 अगस्त, 1971;

(ii) सा.का.नि. 478(अ) तारीख 10 अगस्त, 1976;

(iii) का.आ. 848(अ) तारीख 25 अक्तूबर, 1989;

(iv) का.आ. 528(अ) तारीख 19 जुलाई, 1993;

(v) का.आ. 849(अ) तारीख 20 अक्तूबर, 1995;

(vi) का.आ. 346(अ) तारीख 24 अप्रैल, 1997;

(vii) का.आ. 70(अ) तारीख 20 जनवरी, 1998;

(viii) का.आ. 132(अ) तारीख 24 फरवरी, 1998;

(ix) का.आ. 807(अ) तारीख 6 सितम्बर, 2000;

(x) का.आ. 1095(अ) तारीख 7 दिसम्बर, 2000;

(xi) का.आ. 12(अ) तारीख 5 जनवरी, 2001; और

(xii) का.आ. 1167(अ) तारीख 23 नवम्बर, 2001

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2003

S.O. 1025(E).—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation number G.S.R. 301, dated 27th February, 1971 namely :—

In the said notification,—

(i) for item number (xix) (a) and the entries relating thereto, the following item number and entries shall be substituted namely :—

Member nominated under clause (xix) of Sub-section (3) of Section 4:	(Period upto which nominated)
"(xix) (a) Shri Y. Tsering Secretary (CIB&RC), Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage, NH-IV, Faridabad.	(For a period of 3 years with effect from the date of publication of this Notification)";

(ii) for item number (xix) (c) and the entries relating thereto, the following item number and entries shall be substituted, namely :—

"(xix) (c) Dr. C.D. Mayee, Agriculture Commissioner, Department of Agriculture and Cooperation, Government of India New Delhi.	(For a period of 3 years with effect from the date of publication of this notification."

[F.No. 19-1/2001-PP]

PREM NARAIN, Jt. Secy.

Note :— The principal notification was published in the Gazette of India vide number G.S.R. 301, dated 27th February, 1971 and subsequently amended vide :

(i) G.S.R. 1216 dated the 19th August, 1971;

(ii) G.S.R. 478(E) dated the 10th August, 1976;

(iii) S.O. 848(E) dated the 25th October, 1989;

(iv) S.O. 528(E) dated the 19th July, 1993;

(v) S.O. 849(E) dated the 20th October, 1995;

(vi) S.O. 346(E) dated the 24th April, 1997;

(vii) S.O. 70(E) dated the 20th January, 1998;

(viii) S.O. 132(E) dated the 24th February, 1999;

(ix) S.O. 807(E) dated the 6th September, 2000;

(x) S.O. 1095(E) dated the 7th December, 2000;

(xi) S.O. 12(E) dated the 5th January, 2001; and

(xii) S.O. 1167(E) dated the 23rd November, 2001.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.